दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-01-2026

विषय सूची

कृषि सब्सिडी और सुधार की आवश्यकता

चीन की घटती जन्म दर और उसके प्रभाव

भारत और वैश्विक शेयर बाजार में उछाल

वितरण विद्युत कंपनियों द्वारा वर्षों के घाटे के बाद लाभ दर्ज

संक्षिप्त समाचार

BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास

भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के 80 वर्ष

ग्रीनलैंड पर टैरिफ का खतरा EU व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकता है

चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम

ग्रीन एल्युमिनियम

इंडियाफोंटे बिजोयी: कवरत्ती से सूक्ष्म क्रस्टेशियन

www.nextias.com

कृषि सब्सिडी और सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

- खाद्य सब्सिडी लगभग ₹2.25 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है और उर्वरक सब्सिडी ₹2 ट्रिलियन तक जा सकती है, कुल बजट लगभग ₹51 ट्रिलियन है।
    - दोनों मिलकर बजट का लगभग 8 से 8.5 प्रतिशत हैं। दोनों ही उप-इष्टतम स्तर पर हैं।

भारत में कृषि सब्सिडी

- कृषि सब्सिडी से तात्पर्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन से है, जिसका उद्देश्य उत्पादन लागत कम करना, कृषि आय को स्थिर करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आधुनिक इनपुट व सतत प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है।
- **मूल्य समर्थन (Price Support):** सरकार कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करके किसानों को समर्थन देती है।
    - MSP मूलतः एक गारंटीकृत न्यूनतम मूल्य है: यदि बाजार मूल्य गिर जाए तो सरकार किसानों की फसल MSP पर खरीदेगी।
    - यह नीति 1965 में शुरू हुई थी। MSP 25 फसलों के लिए घोषित किया जाता है, जिनमें प्रमुख अनाज (चावल, गेहूँ, मक्का), दलहन (जैसे मसूर), तिलहन (जैसे सोयाबीन), और वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास शामिल हैं।
- **इनपुट सब्सिडी :** मूल्य गारंटी से परे, सरकार किसानों को आवश्यक इनपुट्स पर भी सब्सिडी देती है – जैसे उर्वरक, जल पंप करने के लिए विद्युत , सिंचाई अवसंरचना, बीज, ऋण और फसल बीमा।

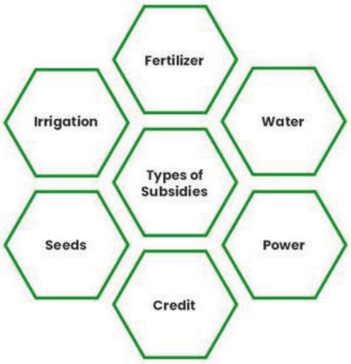

भारतीय कृषि में सब्सिडी का महत्व

- **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना:** सब्सिडी उत्पादन लागत कम करती है और खाद्यान्न उत्पादन को बनाए रखती है, जिससे भारत बड़ी जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है और मूल्य स्थिरता बनी रहती है।
- **छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन:** अधिकांश किसानों की आय कम होती है और जोखिम उठाने की क्षमता सीमित होती है। सब्सिडी खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है तथा उन्हें इनपुट कीमतों के आघातों से बचाती है।
- **कृषि आय को स्थिर करना:** मूल्य समर्थन (MSP) और आय समर्थन (PM-किसान) बाजार अस्थिरता एवं फसल विफलताओं के विरुद्ध सुरक्षा जाल का कार्य करते हैं, जिससे कृषि संकट कम होता है।
- **उत्पादकता और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देना:** सब्सिडी वाले उर्वरक, बीज, सिंचाई और मशीनीकरण आधुनिक प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ती है।
- **ग्रामीण आजीविका और रोजगार बनाए रखना:** कृषि को व्यवहार्य बनाए रखकर सब्सिडी ग्रामीण रोजगार, सहायक गतिविधियों को समर्थन देती है और मजबूरी में पलायन को रोकती है।

विरोध में तर्क

- **भारी राजकोषीय भार:** उर्वरक, खाद्य और विद्युत पर बड़ी सब्सिडी सार्वजनिक वित्त पर दबाव डालती है और अवसंरचना, अनुसंधान एवं शिक्षा में निवेश के अवसर कम करती है।
- **लाभों का असमान वितरण:** सब्सिडी का लाभ बड़े और संपन्न किसानों को अधिक मिलता है, जबकि छोटे एवं सीमांत किसानों को सीमित या अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है।
- **संसाधनों का दुरुपयोग और पर्यावरणीय क्षति:** सस्ते उर्वरक, मुफ्त विद्युत और कम कीमत वाला जल

अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता घटती है, भूजल का क्षय होता है और पर्यावरण को हानि पहुंचती है।

- **फसल पैटर्न में विकृति:** MSP और इनपुट-आधारित सब्सिडी जल-प्रधान फसलों जैसे चावल एवं गन्ने को उन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करती हैं जहाँ यह पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त नहीं है, जिससे स्थिरता प्रभावित होती है।
- **बाजार विकृति और अक्षमता:** सब्सिडी बाजार संकेतों को कमजोर करती है, फसल विविधीकरण को हतोत्साहित करती है और किसानों की मांग व मूल्य खोज के प्रति प्रतिक्रिया को कम करती है।
- **सुधार और नवाचार के प्रति हतोत्साहन:** सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता संरचनात्मक सुधारों, निजी निवेश और जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को अपनाने को हतोत्साहित करती है।

आगे की राह

- **इनपुट-आधारित से आय-आधारित समर्थन की ओर बदलाव:** धीरे-धीरे इनपुट सब्सिडी को प्रत्यक्ष आय समर्थन से बदलें ताकि किसानों को लचीलापन मिले और संसाधनों का दुरुपयोग कम हो।
- **मूल्य समर्थन और खरीद प्रणाली में सुधार:** खरीद को विकेंद्रीकृत करें, MSP कवरेज को चावल और गेहूँ से आगे बढ़ाएँ, तथा e-NAM तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से बाजार-आधारित मूल्य खोज को बढ़ावा दें।
- **प्रमुख समितियों की सिफारिशें:** शांता कुमार समिति, केलकर समिति, नीति आयोग और आर्थिक सर्वेक्षण ने कृषि सब्सिडी के तर्कसंगतीकरण पर बल दिया है।
    - वे इनपुट और मूल्य-आधारित सब्सिडी से लक्षित DBT एवं आय समर्थन की ओर बदलाव की सिफारिश करते हैं, साथ ही सब्सिडी को दक्षता, स्थिरता और राजकोषीय विवेक से जोड़ने की बात करते हैं।

Source: IE

चीन की घटती जन्म दर और उसके प्रभाव

समाचार में

- चीनी जनसंख्या 2022 से लगातार घट रही है।

चीन की जनसंख्या की स्थिति

- चीन की जनसंख्या 2025 में लगातार चौथे वर्ष घटी, 33.9 लाख कम होकर 1.405 अरब पर पहुँच गई।
- जन्म 2025 में घटकर 79.2 लाख रह गए, जो 2024 के 95.4 लाख से 17% कम है।
- सकल जन्मदर घटकर 5.63 प्रति 1000 व्यक्ति हो गई, जो दशकों में सबसे कम है।
- मृत्यु दर बढ़कर 113.1 लाख हो गई, जिससे जनसंख्या में कमी तीव्र हो गई।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चीन की जनसंख्या 1.4 अरब से घटकर 2050 तक लगभग 1.3 अरब हो जाएगी, जिसमें लगभग 40% नागरिक 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। इससे यह चिंता में वृद्धि हो जाती है कि देश अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा।

जनसंख्या बढ़ाने के कदम

- राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में एक-बच्चा नीति समाप्त की, पहले दो बच्चों की अनुमति दी और बाद में 2021 में इसे तीन बच्चों तक बढ़ाया, लेकिन ये कदम जनसंख्या गिरावट को रोकने में विफल रहे।
- चीन ने माता-पिता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए, बाल देखभाल और शिक्षा लागत कम की, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई, एवं विवाह व संतानोत्पत्ति को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए।
- इसके अतिरिक्त, नीतियों में बदलाव किए गए जैसे सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाना और पेंशन फंड की सुरक्षा के उपाय।
    - हालांकि, इन प्रयासों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें उच्च जीवन और बाल देखभाल लागत, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यय, लैंगिक असंतुलन और एक-बच्चा नीति के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव शामिल हैं।

घटती जन्मदर के प्रभाव

- **आर्थिक वृद्धि:** घटती श्रमशक्ति चीन की विनिर्माण प्रभुत्व और नवाचार क्षमता को खतरे में डालती है।
- **वृद्ध जनसंख्या:** वृद्धजन युवाओं से अधिक हो रहे हैं, जिससे आश्रित अनुपात बढ़ता है और पेंशन व स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ता है।
- **सामाजिक दबाव:** बच्चों की परवरिश, शहरी आवास और शिक्षा की बढ़ती लागत परिवार बनाने को हतोत्साहित करती है।
- **नीतिगत चुनौतियाँ:** सरकारी प्रोत्साहन (कर छूट, आवास सब्सिडी) इस प्रवृत्ति को उलटने में विफल रहे हैं।

भारत की जन्मदर और प्रजनन प्रवृत्तियाँ

- भारत की शिशु मृत्यु दर (IMR) 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 39 से घटकर 2021 में 27 हो गई।
- नवजात मृत्यु दर (NMR) 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 26 से घटकर 2021 में 19 हो गई।
- पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर (U5MR) 2014 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 2021 में 31 हो गई।
- जन्म के समय लिंग अनुपात 2014 में 899 से सुधरकर 2021 में 913 हो गया।
- कुल प्रजनन दर (TFR) 2021 में 2.0 पर स्थिर रही, जो 2014 के 2.3 से एक महत्वपूर्ण सुधार है।

कैसे चीन की जनसांख्यिकीय गिरावट भारत के लिए रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है?

- युवा जनसंख्या के साथ भारत श्रम-प्रधान उद्योगों से निवेश आकर्षित कर सकता है जो चीन से बाहर जा रहे हैं।
- चीन में बढ़ती मजदूरी और घटती कार्यबल कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित कर सकती है ताकि लागत-प्रभावी उत्पादन बनाए रखा जा सके।
- बदलती चीनी अर्थव्यवस्था में भारत वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि देख सकता है।
- स्थिर प्रजनन दर एक बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या सुनिश्चित करती है, जो आर्थिक वृद्धि का समर्थन करती है।
- भारत का SDG 2030 लक्ष्यों पर ध्यान सतत जनसंख्या स्वास्थ्य और समान विकास पर जोर देता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- चीन की गिरती जन्मदर उसकी अर्थव्यवस्था और समाज को बदल रही है, जिससे वैश्विक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं।
- भारत के लिए यह अवसर है कि वह अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाए, विशेषकर विनिर्माण, व्यापार और प्रतिभा में। भारत इस जनसांख्यिकीय लाभ का कैसे उपयोग करता है, यही उसके भविष्य की वृद्धि की कुंजी होगी।
- भारत की लगभग प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर एक जनसांख्यिकीय लाभ प्रदान करती है, यदि इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों के माध्यम से सही ढंग से उपयोग किया जाए।

Source :TH

भारत और वैश्विक शेयर बाजार में उछाल

संदर्भ

- भारत के निफ्टी50 और सेंसेक्स सूचकांक लगभग 1% गिर गए हैं, जो हाल के महीनों में दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका के बाज़ारों की तुलना में कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन देशों के बाज़ार 2% से 21% तक बढ़े हैं।

भारत का शेयर बाज़ार

- भारत का शेयर बाज़ार एक सुदृढ़ और पारदर्शी नियामक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी देखरेख भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा की जाती है। इसमें दो प्रमुख एक्सचेंज शामिल हैं:
    - **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE):** 1875 में स्थापित, BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
        - इसमें 5,000 से अधिक कंपनियाँ सूचीबद्ध हैं, और सेंसेक्स इसका मानक सूचकांक है।

- **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE):** 1992 में स्थापित, NSE ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कुशल निपटान तंत्र के माध्यम से ट्रेडिंग में क्रांति ला दी।
  - इसका मानक सूचकांक निफ्टी 50 है, जो प्रमुख क्षेत्रों की 50 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
- दोनों एक्सचेंज मिलकर भारत में लगभग सभी इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- शेयर (स्टॉक्स/इक्विटी) किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है, तो वह उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदता है।
- शेयरधारक होने का तात्पर्य है कि खरीदार को तीन प्रमुख अधिकार मिलते हैं:
  - स्वामित्व
  - लाभ (डिविडेंड)
  - कंपनी पर मतदान का अधिकार

भारत का बाज़ार प्रदर्शन

- **रिकॉर्ड पूंजी एकत्रण:** भारत अब IPO की संख्या में विश्व का अग्रणी बाज़ार है और मूल्य के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा है। FY2025–26 के केवल नौ महीनों में 311 IPO के माध्यम से ₹1.7 ट्रिलियन जुटाए गए।
  - बाज़ार पूंजीकरण-से-GDP अनुपात FY2016 के 69% से बढ़कर 130% से अधिक हो गया है, जो निवेशकों के गहरे विश्वास और आर्थिक विस्तार को दर्शाता है।
- **निवेशक आधार का विस्तार:**
  - पंजीकृत निवेशक FY20 में 4.3 करोड़ से बढ़कर आज 13.7 करोड़ हो गए हैं।
  - अद्वितीय म्यूचुअल फंड निवेशक अब 5.9 करोड़ से अधिक हैं, जो वित्तीय बाज़ारों में खुदरा भागीदारी की वृद्धि को दर्शाता है।
  - वित्तीय साक्षरता, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और SIPs ने निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया है।
- 2026 तक भारत बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर विश्व के शीर्ष पाँच इक्विटी बाज़ारों में शामिल है, जिसकी वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से अधिक है।

भारत के शेयर बाज़ार की चिंताएँ और मुद्दे

- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की निकासी:** 2026 के पहले 16 दिनों में FPIs ने भारतीय इक्विटी से $2.5 बिलियन निकाल लिए। 2025 में कुल निकासी लगभग $19 बिलियन रही, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी विदेशी बिकवाली में से एक है।
- **मूल्यांकन प्रीमियम और आय का असंगत संतुलन:** भारतीय इक्विटी लंबे समय से इंडोनेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे उभरते बाज़ारों की तुलना में प्रीमियम पर रही है। हालाँकि, यह प्रीमियम अब आय वृद्धि से उचित नहीं ठहरता।
- **वैश्विक AI और टेक बूम में सीमित भागीदारी:** हाल के वैश्विक स्टॉक रैलियों का प्रमुख कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्रांति रही है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के बाज़ार AI-आधारित मांग से उछले हैं। भारत 'कम AI भागीदारी' श्रेणी में आता है, अर्थात् कुछ ही सूचीबद्ध कंपनियाँ इस वैश्विक AI उछाल से सीधे लाभान्वित होती हैं।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक और व्यापारिक अनिश्चितता:** विलंबित या प्रतिकूल व्यापार समझौते निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों और निवेशक भावना को प्रभावित करते हैं। वैश्विक फंड जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अधिक स्थिर बाज़ारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- **उच्च घरेलू मूल्यांकन और खुदरा-प्रेरित अस्थिरता:** विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) और खुदरा निवेशक बाज़ार को स्थिर करने में आगे आए हैं।
- **क्षेत्रीय असंतुलन और एकाग्रता जोखिम:** विगत कुछ वर्षों में भारत की बाज़ार रैली मुख्य रूप से चुनिंदा क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, आईटी सेवाएँ और ऊर्जा द्वारा संचालित रही है।

प्रमुख नियामक और बाज़ार सुधार

- SEBI के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक सुधारों ने भारत के पूंजी बाज़ारों का आधुनिकीकरण किया है:
  - IPO लिस्टिंग समय को घटाकर T+3 दिन किया गया ताकि पूंजी तक तीव्र पहुँच हो सके।
  - राइट्स इश्यू के लिए मानदंड सरल किए गए और एंकर निवेशक भागीदारी बढ़ाई गई।
  - कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए गए।
  - सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण और पारदर्शिता मानदंड सुदृढ़ किए गए।
- इन उपायों का उद्देश्य बाज़ार को गहरा करना, तरलता बढ़ाना और निवेशक संरक्षण को सुधारना है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- SEBI को 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था और 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम के अंतगर्त एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
- **उद्देश्य :**
  - **निवेशक संरक्षण:** प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - **बाज़ार विकास:** एक मजबूत और कुशल प्रतिभूति बाज़ार के विकास को बढ़ावा देना।
  - **बाज़ार विनियमन:** स्टॉक एक्सचेंज, मध्यस्थों और अन्य बाज़ार प्रतिभागियों के व्यवसाय को विनियमित करना।

विदेशी निवेश और वैश्विक एकीकरण

- भारत के इक्विटी बाज़ार वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं, इसके पीछे कारण हैं:
  - स्थिर व्यापक आर्थिक नीतियाँ।
  - तीव्र डिजिटलीकरण और फिनटेक एकीकरण।
  - SEBI के अंतर्गत सुदृढ़ नियामक प्रतिष्ठा।
  - भारत की उच्च GDP वृद्धि दर, जो अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय इक्विटी में विशेष रूप से तकनीक, अवसंरचना और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है।

भविष्य की दृष्टि

- सतत आर्थिक वृद्धि, जनसांख्यिकीय लाभ और सक्रिय नियमन के साथ, भारत का शेयर बाज़ार 2030 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाज़ार बनने की ओर अग्रसर है। ध्यान केंद्रित रहेगा:
  - खुदरा भागीदारी का विस्तार
  - कॉर्पोरेट पारदर्शिता को बढ़ाना
  - डिजिटल बाज़ार अवसंरचना को सुदृढ़ करना

Source: IE

वितरण विद्युत कंपनियों द्वारा वर्षों के घाटे के बाद लाभ दर्ज

संदर्भ

- भारत की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024–25 में सामूहिक कर पश्चात लाभ (PAT) ₹2,701 करोड़ दर्ज किया है।

परिचय

- वितरण कंपनियाँ राज्य विद्युत बोर्डों के विखंडन और निगमितीकरण के बाद कई वर्षों से PAT घाटा दर्ज कर रही थीं।
- यह वितरण क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय है और वितरण क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कई कदमों का परिणाम है।

वितरण क्षेत्र में पहल

- **पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS):** अवसंरचना आधुनिकीकरण और त्वरित स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना।
- **अतिरिक्त सावधानी मानदंड:** विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के लिए वित्त तक पहुँच को प्रदर्शन मानकों की उपलब्धि से जोड़ना ताकि राजकोषीय और परिचालन अनुशासन को बढ़ावा मिले।

- **विद्युत नियमों में संशोधन:** समय पर लागत समायोजन, विवेकपूर्ण टैरिफ संरचना और पारदर्शी सब्सिडी लेखांकन लागू करना ताकि पूर्ण लागत वसूली सुनिश्चित हो सके।
- **विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025:** वितरण कंपनियों में समान लेखांकन और पारदर्शिता लाना ताकि वित्तीय प्रशासन बेहतर हो सके।
- **विलंबित भुगतान अधिभार नियम:** विद्युत क्षेत्र में समय पर भुगतान के माध्यम से कानूनी अनुबंधों को लागू करना, जिससे नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को समर्थन मिले।

भारत का विद्युत क्षेत्र

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसकी स्थापित क्षमता जून 2025 तक 476 GW है।

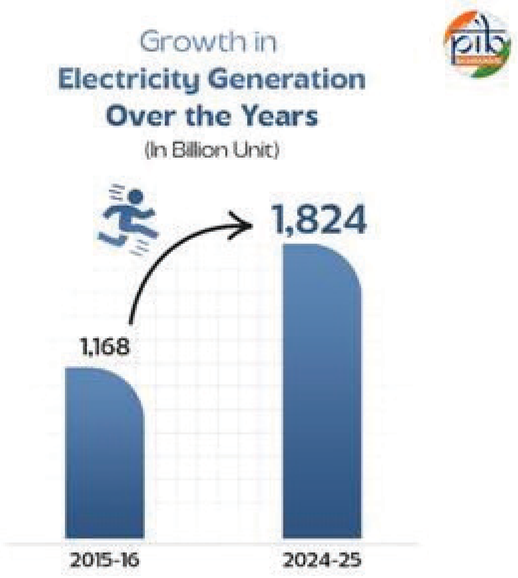

- भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है (2025 तक)।
- विद्युत खपत में उद्योग का हिस्सा 41.8% है, इसके बाद घरेलू उपयोग 24.3%, कृषि 17% और वाणिज्यिक उपयोग 8.3% है।
- भारत ने जून 2025 में 250 GW की रिकॉर्ड पीक मांग पूरी की, जो मांग वृद्धि के पैमाने को दर्शाता है।
- भारत ने 2018 तक 100% गाँवों का विद्युतीकरण कर लिया और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा है।

विद्युत क्षेत्र की चिंताएँ

- **उच्च ट्रांसमिशन और वितरण हानियाँ:** विद्युत चोरी, अपर्याप्त मीटरिंग और पुरानी अवसंरचना के कारण T&D हानियाँ वैश्विक मानकों से कहीं अधिक हैं।
- **ईंधन आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियाँ:** कोयले की कमी, लॉजिस्टिक बाधाएँ और आयातित कोयला व गैस पर बढ़ती निर्भरता विद्युत क्षेत्र को वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की चुनौतियाँ:** सौर और पवन ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी अस्थिरता, ऊर्जा भंडारण की कमी एवं ग्रिड संतुलन समस्याएँ उत्पन्न करती है।
- **अपर्याप्त ट्रांसमिशन और ग्रिड अवसंरचना:** ट्रांसमिशन नेटवर्क उत्पादन क्षमता की गति से नहीं बढ़े हैं, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा वाले क्षेत्रों में, जिससे भीड़भाड़ और अक्षम विद्युत निकासी होती है।
- **बढ़ती मांग और पीक बिजली की कमी:** शहरीकरण, औद्योगीकरण, जलवायु-प्रेरित शीतलन आवश्यकताओं और EV अपनाने से प्रेरित विद्युत की त्व्रता से बढ़ती मांग ने पीक क्षमता एवं ग्रिड स्थिरता पर दबाव बढ़ा दिया है।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM):** 2010 में शुरू किया गया, इसने ग्रिड से जुड़े और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं सहित सौर क्षमता स्थापना के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (NCEF):** इसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं में अनुसंधान एवं नवाचार का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करते हैं।

- **राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन:** भारत में पवन ऊर्जा के विकास और विस्तार पर केंद्रित। 2030 तक पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 140 GW रखा गया है।
- **वित्तीय समर्थन और प्रोत्साहन:**
  - बड़े पैमाने पर सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण(VGF)।
  - सौर PV निर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना।
  - रूफटॉप सौर और ऑफ-ग्रिड प्रणालियों के लिए सब्सिडी।
  - ग्रीन पावर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs)।
- **अवसंरचना विकास:**
  - नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण में सुधार के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर।
  - कृषि पंपों के सौरकरण के लिए PM-KUSUM योजना।
  - वितरण कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)।
- **उभरती प्रौद्योगिकियाँ और परियोजनाएँ:**
  - बैटरी भंडारण, हाइब्रिड प्रणालियों और RTC विद्युत के लिए समर्थन।
  - अपतटीय पवन और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा।
  - हरित हाइड्रोजन विकास के लिए हाइड्रोजन मिशन पर ध्यान।
- **अंतरराष्ट्रीय साझेदारी:**
  - वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)।
  - स्वच्छ ऊर्जा निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए देशों एवं वैश्विक कोषों के साथ सहयोग।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास

समाचार में

- भारत ने BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास *"विल फ़ॉर पीस 2026"* में भाग नहीं लिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने आयोजित किया था। भारत ने इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता करने के बावजूद पूरी तरह से इससे दूरी बनाई।
  - भारत ने स्पष्ट किया कि ऐसे नौसैनिक अभ्यास BRICS की संस्थागत गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि आकस्मिक पहल हैं, और इसलिए भागीदारी स्वतः या अनिवार्य नहीं है।

BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास क्या हैं?

- BRICS प्लस नौसैनिक अभ्यास आकस्मिक समुद्री अभ्यास हैं जिनमें BRICS सदस्य और कुछ गैर-BRICS साझेदार देश शामिल होते हैं।
- ये BRICS ढाँचे के अंतर्गत अनिवार्य नहीं हैं और आधिकारिक BRICS तंत्र का हिस्सा नहीं हैं।
- चीन के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और दक्षिण अफ्रीका की सक्रिय नौसैनिक भागीदारी रही।

BRICS क्या है?

- **परिभाषा:** BRICS वैश्विक दक्षिण के ग्यारह देशों का एक अनौपचारिक, गैर-संस्थागत समूह है।
- **उत्पत्ति:** "BRIC" शब्द 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। यह समूह 2006 में एक राजनयिक मंच के रूप में औपचारिक रूप से शुरू हुआ, और 2009 में रूस में प्रथम शिखर बैठक आयोजित हुई।
- **सदस्य देश:** इसमें पाँच मूल सदस्य (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) तथा 2024–25 के विस्तार में शामिल छह नए सदस्य (मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) शामिल हैं।

- **मुख्य उद्देश्य:** यह समूह अंतरराष्ट्रीय शासन में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र, IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना है ताकि वे अधिक न्यायसंगत एवं प्रतिनिधिक बन सकें।
- **वित्तीय अंग:** *न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)* इस समूह का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जो अवसंरचना और सतत परियोजनाओं को समर्थन देता है।

स्रोत: TH

भारत की प्रथम ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना

संदर्भ

- सरकार ने अंडमान सागर से भारत की पहली ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन परियोजना शुरू की।

परिचय

- यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT), और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच सहयोग है।
- पायलट पहल प्राकृतिक समुद्री परिस्थितियों में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल की ओपन-सी खेती पर केंद्रित है, जो वैज्ञानिक नवाचार को आजीविका सृजन के साथ जोड़ती है।
- इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना और तटीय मत्स्य पालन पर दबाव कम करना है।

ओपन-सी मत्स्य पालन

- ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन का अर्थ है तटरेखा से दूर अपतटीय जल में समुद्री मत्स्य प्रजातियों की खेती।
  - यह पिंजरों या डूबने योग्य प्रणालियों का उपयोग करके किया जाता है, जिन्हें ऊँची लहरों, धाराओं और वायु की परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ओपन-सी समुद्री मत्स्य पालन सतत मत्स्य पालन, आजीविका सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएँ रखता है।

स्रोत: PIB

आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के 80 वर्ष

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने अपने कार्य के 80 वर्ष पूर्ण किए।

परिचय

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीति समन्वय के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है।
- इसे 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- ECOSOC सरकारों और गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच एक अद्वितीय सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके पास 6,500 से अधिक NGOs परामर्शदाता दर्जे में हैं, जिससे नागरिक समाज, युवाओं और अन्य हितधारकों को वैश्विक नीति निर्माण में भाग लेने का अवसर मिलता है।
- 2000 के दशक में, ECOSOC सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) की प्रगति की समीक्षा के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा और 2015 से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की समीक्षा के लिए *हाई-लेवल पॉलिटिकल फोरम (HLPF)* जैसे तंत्रों के माध्यम से कार्य कर रहा है।

स्रोत: UN

ग्रीनलैंड पर टैरिफ का खतरा EU व्यापार समझौते को प्रभावित कर सकता है

समाचार में

- EU सांसद EU–US व्यापार समझौते की स्वीकृति को टालने या रोकने की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता

का समर्थन करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

ग्रीनलैंड

- यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पश्चिम में बैफिन बे और पूर्व में ग्रीनलैंड सागर से घिरा है।
- यह उत्तरी अमेरिका के अधिक निकट है, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है।
- **संसाधन:** ग्रीनलैंड खनिजों से समृद्ध है, जिसमें सोना, निकल और कोबाल्ट जैसे पारंपरिक संसाधनों के बड़े भंडार हैं।
  - इसमें डिस्प्रोसियम, प्रसीओडाइमियम, नियोडाइमियम और टर्बियम जैसे दुर्लभ खनिजों के सबसे बड़े भंडार भी हैं।
- **शासन:** ग्रीनलैंड ने 1979 में होम रूल प्राप्त किया और 2009 में स्व-शासन का विस्तार किया, जिससे उसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे घरेलू मामलों पर अधिकार मिला।
  - डेनमार्क रक्षा, विदेश नीति और मौद्रिक नीति पर नियंत्रण बनाए रखता है।

प्रमुख शक्तियों की दृष्टि ग्रीनलैंड पर

- डेनमार्क की सदस्यता के माध्यम से NATO का भाग होने के कारण ग्रीनलैंड अमेरिकी सेना के लिए रणनीतिक महत्व रखता है और इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए भी अहम है, क्योंकि यूरोप से उत्तरी अमेरिका तक का सबसे छोटा मार्ग आर्कटिक द्वीप से होकर गुजरता है।
- चीन ने ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज संसाधनों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विशेष रुचि दिखाई है।
- अपनी "पोलर सिल्क रोड" योजना के अंतर्गत, चीन आर्कटिक शिपिंग मार्गों को विकसित करना चाहता है, जिससे समुद्री यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
- जलवायु परिवर्तन ने ग्रीनलैंड में वैश्विक रुचि को प्रबल कर दिया है। वैश्विक तापन ने आर्कटिक को तीव्रता से उष्ण कर दिया है, जिससे बर्फ तीव्रता से पिघल रही है और प्राकृतिक संसाधनों तक आसान पहुँच हो रही है।

विभिन्न घटनाक्रम

- डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 फरवरी से 10% नए टैरिफ की घोषणा की, जो 25% तक बढ़ेंगे, जब तक कि EU ग्रीनलैंड पर समझौते के लिए सहमत नहीं होता। इससे EU नेताओं की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई।
- आलोचकों का कहना है कि व्यापार समझौता पहले से ही अमेरिका के पक्ष में है, विशेषकर तब जब वाशिंगटन ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ बढ़ा दिए।
- जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, EU सांसद समझौते को निलंबित करने और अमेरिकी दबाव के जवाब में EU के एंटी-कोएर्शन उपकरण का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे व्यापार समझौते का पारित होना और अधिक अनिश्चित हो गया है।

स्रोत: IE

चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम

संदर्भ

- C2S कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1 लाख से अधिक व्यक्तियों ने चिप डिज़ाइन प्रशिक्षण में नामांकन किया है, जिनमें से लगभग 67,000 को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

परिचय

- C2S कार्यक्रम एक व्यापक क्षमता-निर्माण पहल है जिसे MeitY ने 2022 में शुरू किया था, जिसकी कुल लागत पाँच वर्षों में ₹250 करोड़ है।
- इसका लक्ष्य स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर पर 85,000 उद्योग-तैयार पेशेवरों का विकास करना है। इसमें शामिल हैं:
  - 200 पीएचडी शोधार्थी जो चिप डिज़ाइन में उन्नत अनुसंधान कर रहे हैं।

- 7000 एम.टेक स्नातक जो VLSI या एम्बेडेड सिस्टम में विशेषज्ञता रखते हैं।
- 8800 एम.टेक स्नातक जो कंप्यूटर, संचार या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कार्यक्रमों से हैं और VLSI पर केंद्रित हैं।
- 69,000 बी.टेक छात्र जिन्हें VLSI-उन्मुख पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

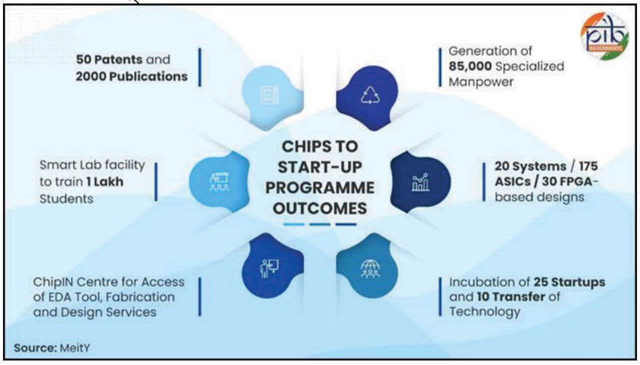

- **कार्यक्रम की आवश्यकता:**
  - उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और AI की बढ़ती मांग के साथ, सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन USD तक पहुँचने की संभावना है।
  - 2032 तक 10 लाख से अधिक पेशेवरों की वैश्विक प्रतिभा कमी भारत को सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है।
- **महत्व :**
  - C2S कार्यक्रम उन्नत डिज़ाइन क्षमताओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाता है।
  - यह छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को संस्थान या स्थान की परवाह किए बिना अभिनव सेमीकंडक्टर समाधान विकसित करने में सक्षम बनाता है।
  - यह तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दृष्टि के अनुरूप स्वदेशी नवाचार को तीव्र करता है।

स्रोत: PIB

ग्रीन एल्युमिनियम

समाचार में

- NALCO के CMD ने कहा कि भारत का एल्युमिनियम क्षेत्र अभी EU के CBAM के अंतर्गत ग्रीन एल्युमिनियम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विद्युत की उच्च लागत और थर्मल ऊर्जा पर निर्भरता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है और परिष्कृत तांबे के शीर्ष-10 उत्पादकों में शामिल है।
- भारत का एल्युमिनियम उद्योग रणनीतिक रूप से सुदृढ़ है और विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है, जो समृद्ध बॉक्साइट संसाधन आधार द्वारा समर्थित है और NALCO, हिंदाल्को, BALCO एवं वेदांता एल्युमिनियम जैसे प्रमुख उत्पादकों द्वारा संचालित है।
- एल्युमिनियम का व्यापक उपयोग विद्युत, परिवहन, निर्माण, पैकेजिंग, मशीनरी, एयरोस्पेस और उपभोक्ता वस्तुओं में होता है। इसकी मांग विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, आवास, सौर ऊर्जा एवं विद्युत संचरण में बढ़ रही है।

ग्रीन एल्युमिनियम

- इसका अर्थ है ऐसा एल्युमिनियम जो उत्पादन विधियों के माध्यम से बनाया गया हो जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करें।
- पारंपरिक एल्युमिनियम उत्पादन ऊर्जा-गहन होता है और जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भर करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है।
- ग्रीन एल्युमिनियम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों और अभिनव तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाता है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

महत्व:

- ग्रीन एल्युमिनियम कार्बन उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करता है, पुनर्चक्रण के माध्यम से ऊर्जा बचाता है और अपशिष्ट को कम करके परिपत्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।
- यह कॉर्पोरेट स्थिरता प्रमाण-पत्रों को बढ़ाता है, जबकि एल्युमिनियम की प्रमुख विशेषताओं—हल्कापन, वहनीयता, जंग-प्रतिरोध और बहुमुखी प्रतिभा—को बनाए रखता है, बिना प्रदर्शन से समझौता किए।

स्रोत: IE

इंडियाफोंटे बिजोयी: कवरत्ती से सूक्ष्म क्रस्टेशियन

समाचार में

- वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह के कवरत्ती लैगून से एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन की खोज की है और इसे एक नए *वंश* और नई *प्रजाति* के रूप में पहचाना है।

सूक्ष्म क्रस्टेशियन के बारे में

- यह एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन (कोपेपोड) है, जो हार्पैक्टिकोइडा क्रम के अंतर्गत लाओफोंटिडाए परिवार से संबंधित है।
- *इंडियाफोंटे* नाम भारत को सम्मानित करता है, जबकि *बिजोई* समुद्री वैज्ञानिक एस. बिजोय नंदन को मान्यता देता है।
- *इंडियाफोंटे* वंश को नया माना गया है क्योंकि इसकी भौतिक विशेषताओं का अद्वितीय समूह लाओफोंटिडाए परिवार के किसी भी ज्ञात वंश से मेल नहीं खाता।

विवरण

- इस जीव का शरीर अर्ध-नलाकार होता है, जो बीच में चौड़ा और पीछे की ओर पतला होता है, तथा सामने एंटीना जैसी उपांग होती हैं।
- मादाएँ नर से थोड़ी बड़ी होती हैं, जिनकी लंबाई 518 से 772 माइक्रोमीटर के बीच होती है।
- इसे *मेयोफौना* के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सूक्ष्म जीव जलीय अवसादों में रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्रोत: TH

NEXT IAS